कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
ग्रामीण निर्माण विभाग,पी0आई0यू0–2,
पी0एम0जी0एस0वाई0, कपकोट, ।

प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना

ई–मेलः– eepmgsykapkot@rediffmail.com

पत्रांकः–1176 /ग्रा0नि0वि0/पी0एम0जी0एस0वाई0/2024–25, दिनांकः– 24/02/2025

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
वन प्रभाग, बागेश्वर।

विषयः– जनपद बागेश्वर मे प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत फरसाली–पल्ली से खर्कुकानातोली मोटर मार्ग निर्माण हेतु 8.931 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यार्वतन। (Online No. FP/ UK/ ROAD/11292/2015)

सन्दर्भः– भारत सरकार के पत्रांक संख्या 08बी0/यू0सी0सी0/06/222/2015/एफ0सी0/616, दिनांक 09.08.2024

महोदय,

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून द्वारा जनपद बागेश्वर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत फरसाली–पल्ली से खर्कुकानातोली मोटर मार्ग निर्माण हेतु 8.931 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यार्वतन करने के सम्बन्ध में लगायी गयी आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण कर अनुपालन आख्या प्रेषित की जा रही हैः–

क्र0 सं0	आपत्तियॉ	आपत्तियों का निराकरण
1	प्रस्ताव की KML एवं Google Earth Image के अवलोकन पर यह प्रतीत होता है कि प्रस्तावित मार्ग एवं मार्ग निर्माण हेतु वर्तमान कटिंग क्षेत्र में भिन्नता है जो कि वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन प्रतीत होता है।	प्रस्तावित KML में मोटर मार्ग की लम्बाई 11.200 किमी0 दर्शायी गयी थी परन्तु पूर्व में दिये गये प्रमाण पत्र के क्रम में पुनः अवगत कराना है कि मोटर मार्ग का निर्माण कार्य 11.200 किमी0 के सापेक्ष मात्र 6.800 किमी0 में कराया गया है। जिस कारण प्रस्तावित KML एवं Google Earth Image के अवलोकन पर मार्ग निर्माण हेतु वर्तमान कटिंग क्षेत्र में भिन्नता है एवं साथ ही यह भी अवगत कराना है कि मार्ग निर्माण के दौरान किसी भी प्रकार के वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियमों का उल्लंघन नही किया गया है।

डिस्पैचर
27/2/2025
बागेश्वर वन प्रभाग
बागेश्वर

भवदीय,

अधिशासी अभियन्ता,
ग्रा0नि0वि0, पी0एम0जी0एस0वाई0,
कपकोट।

DK

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

Email-dfobag-forest-uk.nic.in/ dfo_bageshwar@rediffmail.com
दूरभाष एवं फैक्स नं0: 05963-220249वन मित्र काल सेटर– 9208008000

पत्रांक 3198 / 12-2 बागेश्वर दिनांक 08/02/2024

सेवा में,

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,
उत्तराखण्ड अल्मोड़ा।

विषय – **जनपद बागेश्वर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत फरसाली पल्ली मोटर मार्ग से खर्ककानातोली मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 8.931 है0 वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन। (प्रस्ताव संख्या–11292/2015)**

सन्दर्भ– भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के पत्रांक सं0 8बी/यू0सी0पी0/06/222/2015/एफ0सी0/717 दिनांक 24.08.2023।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के कम में अवगत कराना है, कि उक्त प्रस्ताव में भारत सरकार द्वारा जो आपत्ति का निराकरण कर प्रस्ताव अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

बिन्दु स0 1	प्रमाण पत्र से यह सूचित किया गया है कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित क्षेत्र को भारतीय वन अधिनियम, 1927 के तहत् (सिविल और सोयम भूमि) को आरक्षित वन/संरक्षित वन के रूप में अधिसूचित कर दिया गया है परन्तु उसकी प्रति इस कार्यालय में प्रेषित नहीं की गई है। अतः अनुरोध है कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित क्षेत्र के आरक्षित वन/संरक्षित वन होने की अधिसूचना की प्रति इस कार्यालय में प्रेषित करने का कष्ट करें तथा उक्त भूमि को कार्य योजना में सम्मिलित करने की स्थिति की जानकारी इस कार्यालय में प्रेषित करें।	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित क्षेत्र वन भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा–4/20/29 के अन्तर्गत संरक्षित/आरक्षित वन क्षेत्र घोषित है। **(संलग्न)**
2	प्रस्तावित मार्ग की केएमएल के अवलोकन उपरान्त यह पाया गया है कि मार्ग के संरेखण का प्रारंभिक बिन्दु क्षेत्र में पूर्व से ही निर्मित मार्ग पर स्थानांतरित कर दिया गया है। अतः राज्य सरकार से अनुरोध है कि इस संबंध में संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी की विस्तृत टिप्पणी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का कष्ट करें।	अधिशासी अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई कपकोट से उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में आख्या मांगी जो उनके द्वारा उपलब्ध करायी गयी तथा इसकी प्रति पत्र के साथ संलग्न है। उक्त प्रस्ताव की K.M.L File के टाइम लाईन का अवलोकन किया गया फरसाली पल्ली से खर्ककानातोली मोटर मार्ग हेतु प्रस्ताव वर्ष 2015 में ऑनलाईन अपलोड किया गया प्रस्ताव के अनुसार मार्ग की लम्बाई 11.62 कि0मी0 तथा प्रभावित वन भूमि 8.931 है0 में प्रस्ताव ऑनलाईन अपलोड है। तथा भारत सरकार द्वारा दिनांक 14.03.2017 को सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान किये जाने की अवधि में प्रस्तावित मार्ग के समीप ही लो0निर्माण विभाग कपकोट द्वारा भयूँ से गूलेर मोटर मार्ग नामक कुल 9.00 किमी0 लम्बाई में किया गया जिसकी पुष्टि गूगल अर्थ के टाइम लाइन से होता है। लोक निर्माण विभाग द्वार निमित मोटर मार्ग प्रस्तावित

Scanned with OKEN Scanner

	मोटर मार्ग के 4.80 किमी0 पर संयोजित हो रहा था। तद्नुसार ग्रामीणों की आवश्यकता को दृष्टि करते हुए अधिशासी अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई कपकोट द्वारा प्रस्तावित मार्ग को फरसाली पल्ली से न कर भयूँ गूलेर से प्रारम्भ किया गया। प्रस्तावित मार्ग के प्रारम्भिक बिन्दु के परिवर्तन होने से मोटर मार्ग का निर्माण कार्य 6.80 किमी0 से निर्मित किया गया है। जिसके कारण प्रभावित वन भूमि प्रस्तावित वन भूमि से कम है तथा प्रारम्भिक बिन्दु के परिवर्तन से वन संरक्षण अधिनियम का भी उल्लंघन नहीं हुआ है। अतः सूचना सेवा में सादर प्रेषित।

संलग्नः— उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(उमेश चन्द्र तिवाडी)
प्रभागीय वनाधिकारी,
बागेश्वर वन प्रभाग,बागेश्वर

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

Email-dfobag-forest-uk.nic.in/ dfo_bageshwar@rediffmail.com
दूरभाष एवं फैक्स नं0 05963-220249वन मित्र काल सेंटर– 9208008000

पत्रांक 862 / 12-1-2 बागेश्वर दिनांक 28 / 8 /2024

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
भूमि सर्वेक्षण निदेशालय,इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी
उत्तराखण्ड देहरादून।

विषय – **जनपद बागेश्वर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत फरसाली पल्ली मोटर मार्ग से खर्ककानातोली मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 8.931 है0 वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन। (प्रस्ताव संख्या–11292/2015)**

सन्दर्भ– भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के पत्रांक सं0 8बी/यू0सी0पी0/06/222/2015/एफ0सी0/717 दिनांक 24.08.2023।

महोदय,

उपरोक्त विषयक मोटर मार्ग के सम्बन्ध में दिनांक 24.07.2024 को हुयी (FRCM) बैठक में प्रस्तावित मार्ग के संरेखण का प्रारंभिक बिन्दु क्षेत्र में पूर्व से ही निर्मित मार्ग पर स्थानांतरित करने के सम्बन्ध में चर्चा की गयी जिसमें उनके द्वारा निम्न बिन्दुओं पर चाही गयी सूचना की निरीक्षण आख्या अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

बिन्दु स0 1	As per the user agency, there is a PWD road construction in the part of proposed road alignment. If the constructed road is not part of approved road alignment then the user agency shall return the tha same area to State Forest Department.	उक्त के कम में प्रस्तावक विभाग द्वारा भी अवगत कराया गया है कि भविष्य में उक्त मोटर मार्ग में अन्य कोई भी निर्माण कार्य नहीं किया जायेगा। जिस हेतु प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रमाण दिया गया है।**(संलग्न)**
2	The Status of approval for existing PWD road.	पूर्व में निर्मित मोटर मार्ग में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्रांक 8बी/यू0सी0पी0/06/109/2007/एफ0सी0/186 दिनांक 02.05.2008 को निर्गत की गयी है।
3.	The project proponent may be directed to surrender the unsued area and adjust the paid amount of NPV and CA in the future proposal.	उक्त के कम में प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि अवशेष वन भूमि क्षेत्र को वन विभाग को हस्तान्तरित (surrender) कर दिया गया है, जिस हेतु प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रमाण पत्र दिया गया है।(संलग्न)

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(दीपक सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी,
बागेश्वर वन प्रभाग,बागेश्वर

"D:\samany 2018-19\land transfer\letter land tansfare.pmgs y kapkot .docx"

Scanned with OKEN Scanner